



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12—जून 18, 2010 (ज्येष्ठ 22, 1932)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12—JUNE 18, 2010 (JYAISTHA 22, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)
मुंबई, दिनांक 21 अप्रैल 2010

प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश, 2003

सं. गैबैपवि (नीति प्रभा. एससी/आरसी) 7/मुमप्र (एसएसआर) 2009-2010--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निवेशकों के हित के लिए हानिकारक ढंग से चलाए जा रहे कार्यकलापों को या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हित में किसी भी प्रकार से पक्षपाती ढंग चलाए जा रहे कार्यकलापों को रोकने के लिए "वित्तीय परिसंपत्तियों (आस्तियों) के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002" की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003 (जिन्हें इसके बाद मार्गदर्शी सिद्धांत/निदेश कहा गया है) को संशोधित करने का निदेश देता है, अर्थात् :--

1. मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैराग्राफ 7 (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"(2) (i) प्रबंधन में परिवर्तन या का अधिग्रहण

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 9(क) में विनिर्दिष्ट उपाय दिनांक अप्रैल 21, 2010 के कंपनी परिपत्र सं. गैबैपवि/नीति प्रभा. (SC/RC) सं. 17/26.03.001/2009-10, समय-समय पर यथासंशोधित, में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसरण में प्रयोग में लाएगी।

(ii) उधारकर्ता के भाग या संपूर्ण कारोबार की बिक्री या को पट्टे पर देना

कोई भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट उपायों का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि बैंक इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं कर देता है।

ए. एस. राव
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2010

अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम--2010

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने 30 अप्रैल, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया :-

संकल्प संख्या : 73/2010

संकल्प किया जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद्, उसे ऐसी शर्तें अधिकथित करने की शक्ति न्यस्त होने के कारण, जिसके अधीन अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा, अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा जिससे वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात होगा/होगी। अतः भारतीय विधिज्ञ परिषद् अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने के लिए विधि शिक्षा निदेशालय द्वारा विरचित नियमों का अनुमोदन करती है।

उपर्युक्त संकल्प को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1)(क ज) के अधीन विधि व्यवसाय करने की शर्तें:- भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के अध्याय III, भाग VI में निम्नलिखित नियम बनाती है और उन्हें नियम 9 से 11 तक के रूप में अंतः-स्थपित करती है।

- 9 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-24 के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा संचालित अखिल भारतीय बार परीक्षा सफलता पूर्वक उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बार परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 और आगामी वर्षों में आगे स्नातक बनने वाले और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-24 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने वाले सभी विधि विधार्थियों के लिए आज्ञापक है।

अखिल भारतीय बार परीक्षा

10. (1) अखिल भारतीय बार परीक्षा भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा आयोजित की जाएगी।

(क) बार परीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम दो बार ऐसे मास और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएगी जो

भारतीय विधिज्ञ परिषद् समय समय पर अवधारित करें।

- (ख) बार परीक्षा ऐसे मूल और प्रक्रियागत विधि क्षेत्रों में अधिवक्ताओं की परीक्षा लेगी जैसा भारतीय विधिज्ञ परिषद् समय समय पर अवधारित करे।
- (ग) ऐसे मूल/प्रक्रियागत विधि क्षेत्रों (विषयों) और पाठ्यक्रम का भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा प्रकाशन परीक्षा के नियत तारीख से कम-से-कम तीन मास पूर्व किया जाएगा।
- (घ) बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित अंकों का प्रतिशत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (ङ) असफल अधिवक्ता बार परीक्षा में पुनः बैठ सकेगा उसके लिए बैठने की कोई सीमा नहीं होगी।
- (च) भारतीय विधिज्ञ परिषद्, विशेषज्ञों की एक समिति की मार्फत, पाठ्यक्रम, सिफारिश किए गए पाठन, परीक्षा पत्र निर्धारकों, माडरेटर्स, मूल्यांककों की नियुक्ति, माडल उत्तरों परीक्षा भवन संबंधी नियमों और अन्य संबंधित विषयों का अवधारण करेगी।
- (छ) भारतीय विधिज्ञ परिषद्, परीक्षा के लिए रीति और आवेदन-पत्र का प्रपत्र की अवधारण करेगी।
- (ज) बार परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर, अधिवक्ता विधि-व्यवसाय प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा।

विधि व्यवसाय के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

- 11.(1) विधि व्यवसाय का प्रमाणपत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा परिणामों की धोषणा होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सफल अधिवक्ता के पते पर जारी किया जाएगा।
- (2) विधि व्यवसाय का प्रमाणपत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष के हस्ताराधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी किया जाएगा।

एम. डी. जोशी
सचिव

BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 5th June 2010

ALL INDIA BAR EXAMINATION RULES – 2010

The Bar Council of India at its meeting held on 30th April 2010 passed the following resolution:-

Resolution No. 73/2010

RESOLVED that the Bar Council of India, being vested with the power of laying down conditions subject to which advocates shall have the right to practise the profession of law under the Advocates Act, 1961, shall conduct an All India Bar Examination, the passing of which would entitle the advocate to a Certificate of Practice which would permit him/her to practise the profession of law under the Advocates Act, 1961. The Bar Council of India, therefore, approves the Rules framed by the Directorate of Legal Education for the conduct of the All India Bar Examination.

In view of the above resolution the following rules are framed and to be inserted as Rules 9 to 11 in Part VI, Chapter III of the Bar Council of India Rules – Conditions for Right To Practise – under Section 49(1)(ah) of the Advocates Act, 1961.

9. No advocate enrolled under Section 24 of the Advocates Act, 1961 shall be entitled to practise under Chapter IV of the Advocates Act, 1961, unless such advocate successfully passes the All India Bar Examination conducted by the Bar Council of India. It is clarified that the Bar Examination shall be mandatory for all law students graduating from academic year 2009-2010 and onwards and enrolled as advocates under Section 24 of the Advocates Act, 1961.

The All India Bar Examination

10. (1) The All India Bar Examination shall be conducted by the Bar Council of India.

(a) The Bar Examination shall be held at least twice each year in such month and such places that the Bar Council of India may determine from time to time.

(b) The Bar Examination shall test advocates in such substantive and procedural law areas as the Bar Council of India may determine from time to time.

(c) Such substantive/procedural law areas and syllabi shall be published by the Bar Council of India at least three months prior to the scheduled date of examination.

(d) The percentage of marks required to pass the Bar Examination shall be determined by the Bar Council of India.

(e) An unsuccessful advocate may appear again for the Bar Examination, without any limit on the number of attempts.

(f) The Bar Council of India, through a committee of experts, shall determine the syllabi, recommended readings, appointment of paper setters, moderators, evaluators, model answers, examination hall rules and other related matters.

(g) The Bar Council of India shall determine the manner and format of application for the examination.

(h) Upon successfully passing the Bar Examination, the advocate shall be entitled to a Certificate of Practice.

Application for Certificate of Practice

11. (1) The Certificate of Practice shall be issued by the Bar Council of India to the address of the successful advocate within 30 days of the date of declaration of results.

(2) The Certificate of Practice shall be issued by the Bar Council of India under the signature of the Chairman, Bar Council of India.

M. D. JOSHI
Secy.